बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०–पि०व०/2/ब० एवं आ०–17–10/2023– 27, पटना, दिनांक– 19/03/2026

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023" के अन्तर्गत कुल राशि रू० 87,72,00,000/– (रू0 सतासी करोड़ बहत्तर लाख) मात्र की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत ।

विभागीय संकल्प संख्या–673, दिनांक–23.03.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023" के संचालन एवं दिशा–निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने तथा विभागीय संकल्प संख्या–1385 दिनांक–25.08.2021 द्वारा स्वीकृत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" को वित्तीय वर्ष 2022–23 से विलोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2–वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजनान्तर्गत कुल राशि रू० 87,72,00,000/– (रू0 सतासी करोड़ बहत्तर लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3–उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–34– छात्रवृत्ति/वजीफा– 0101.34.01– छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड–11–2225 –03–277–0101 के अधीन विकलनीय होगा।

4–इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। विभागीय संकल्प संख्या–673, दिनांक–23.03.2023 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

5– इस स्वीकृत राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के अलावे वित्तीय वर्ष 2022–23, वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भी किया जा सकेगा।

6–शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि को DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में अन्तरण करेंगे। छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

7– इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98, बिहार कोशागार संहिता (संशोधित, दिनांक–07.02.2014), 2011 के नियम–272 में उल्लेखित Scholarship तथा Stipend की निकासी हेतु "The list of Statement showing name of student, name and address of father, class, roll no, Scheme name, Period, rate of stipend and total amount shall be attached with all BTC-43 bills", वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3808 दिनांक–02.06.2017 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

8–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2026 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय।

PTO

9—प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10—प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11—सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

12—कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

19/03/2026

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 2 / ब0 एवं आ0—17—10 / 2023— 27 पटना, दिनांक— 19/03/2026

प्रतिलिपि—महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/2026

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 2 / ब0 एवं आ0—17—10 / 2023— 27 पटना, दिनांक— 19/03/2026

प्रतिलिपि— अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / सचिव (व्यय), वित्त विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) / सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/2026

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 2 / ब0 एवं आ0—17—10 / 2023— 27 पटना, दिनांक— 19/03/2026

प्रतिलिपि—सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/2026

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 2 / ब0 एवं आ0—17—10 / 2023— 27 पटना, दिनांक— 19/03/2026

प्रतिलिपि— माननीया मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग / निदेशक / उप सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / बजट प्रशाखा / आई0 टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/2026

सरकार के अपर सचिव।